

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मंडल

हाथरस सिटी स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बडी लाइन)

संख्या : इज्जत नगर/ 28

जारी तिथि : 13.11.2013

लागू तिथि : 17.11.2013

पुनरीक्षण तिथि: Nov.2018

“बी” श्रेणी, इकहरी लाइने अन्तर्पाशित, मानक III
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित,

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1), (क), (ग), 2 (ख), 8.02 (2) (क) (ख) (ग) (II) देखें)

- टिप्पणी - 1.संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/28 दिनांक 27.7.2008 करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

सी०एस०टी०इ०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस० आइ० पी० संख्या NER / IZN / HTC/SIP 2007 / VER-ZERO / 37 Alt-‘E’ पर आधारित स्टेशन का नियम आरेख संख्या उपमुसिदूर्ई/निर्माण/ल०जं०/2008-(आर०डी०)/13 दिनांक 18.04.2008 Alt ‘B’ दिनांक 28.3.2011 संलग्न है जिसमे काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण -

2.1 सामान्य स्थिति -

हाथरस सिटी स्टेशन कासगंज-मथुरा मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है तथा कासगंज जं से 63.16 किमी० तथा मथुरा जं से 41.84 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2 दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे -

2.2.1 दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन -

मेण्डू (पूर्व दिशा में) : 6.84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

मुरसान (पश्चिम दिशा में) : 12.07 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/28

हाथरस सिटी

- (i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति - इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस स्थित नहीं है।
- (ii) नान ब्लॉक स्टेशन - कोई नहीं।
- (iii) बाहरी साइडिंग - कोई नहीं।
- 2.3 स्टेशन के दोनों ओर के ब्लॉक खंड -

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लॉक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लॉक खंड" समाप्त होता है।
हाथरससिटी - मेण्डू	इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11	मेण्डू स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2
हाथरससिटी-मुरसान	इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2	मुरसान स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11

2.4 ढलान यदि कोई हो - स्टेशन यार्ड में चैनेज 255.60 तक समतल है, तथा इसके आगे 400 में 1 का उर्ध्वगामी ढलान है।

2.5 अभिन्यास - अभिन्यास दो लाइनों का है। लाइन संख्या 1 व 2 परिचालित लाइने है।

2.5.1 परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :-

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन सं० 1	696 मीटर	लूप लाइन यात्री प्लेट फार्म के साथ अप एवं डाउन दिशा में स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।
लाइन सं० 2	696 मीटर	मेन लाइन रेल लेबल प्लेटफार्म के साथ।

(ख) परिचालित लाइन संख्या 2 सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे आगे पॉच रेल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर लाइन के अभिघृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(ग) अप अथवा डाउन गाडियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2 अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी० एस० आर०) -कुछ नहीं

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें - कुछ नहीं।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.6 **समपार फाटक**

स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है -

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अर्न्तपाशित है या नहीं	संचार	गाडी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
307	बी	डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 एवं स्टेशन प्लेटफार्म के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
308	विशेष	अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 एवं कौटा संख्या 201बी के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
309	विशेष	डाउन होम सिगनल एस-1 तथा अप अग्रिम प्रस्थान/अप गेट डिस्टेण्ट एस-2 के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इन्जीनियरिंग समपार फाटक							
303	सी	हाथरस सिटी-मेन्डू के मध्य किमी० 305/2-3	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
304	सी	हाथरस सिटी-मेन्डू के मध्य किमी० 306/4-5	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
306	सी	हाथरस सिटी-मेन्डू के मध्य किमी० 308/0-1	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
310	ए	हाथरस सिटी-मुरसान के मध्य किमी० 310/6-7	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

311	सी	हाथरस सिटी - मुरसान स्टेशन के मध्य किमी० 311/6-7 पर	सडक यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलिफोन	नहीं
311ए	सी	हाथरस सिटी - मुरसान स्टेशन के मध्य किमी० 311/9-312/0	सडक यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

नोट - समपार फाटक के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' से क-VIII देखें ।

3 संचालन की पद्धति एवं साधन -

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों मुरसान तथा मेण्डू से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति' कार्य प्रणाली लागू है -

प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त पुश बटन टाइप टोकेन लेस ब्लाक यंत्र एक्सल काउन्टर के साथ मुरसान तथा मेण्डू स्टेशनों के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से पृथक-पृथक सम्बद्ध ।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर

(विशेष रूप से सहायक नियम 14.01 (क), 14.02 से 14.06, 14.11 से 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी - कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 एवं सामान्य तथा सहायक नियम 14.04 देखें)

4 संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति --

4.1 **हाथरस सिटी** स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1 एवं 2 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(क) अप आगमन सिगनल (मेण्डू से) -

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए- 12
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 12 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मेन लाइन संख्या 2 के लिए
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (बांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (मुरसान को)

- (i) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-4 मेन लाइन संख्या - 2 से
- (ii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-6 लूप लाइन संख्या - 1 से
- (iii) अप अग्रिम प्रस्थान /अप गेट डिस्टैण्ट सिगनल संख्या एस-2 (टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियन्त्रित)
- (iv) अप गेट सिगनल संख्या 2 गेट सं० 310-ए के लिए ।

(ग) अप कालिंग आन सिगनल संख्या - सी-10

अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

(घ) शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-32 कांटा संख्या 203ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	मेण्डू छोर से लाइन संख्या 1 एवं 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-26 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से मुरसान छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-24 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से मुरसान छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ङ) डाउन आगमन सिगनल (मुरसान से) -

- (i) डाउन डिस्टेन्ट / डाउन गेट डिस्टैण्ट सिगनल A-1
- (ii) डाउन गेट सिगनल संख्या 3 गेट सं० 310-ए के लिए
- (iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (जं० इंडिकेटर रहित) मेन लाइन संख्या 2 के लिए ।
- (iv) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (दाहिना जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए ।

(च) डाउन प्रस्थान सिगनल (मेण्डू को) -

- (i) डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-7 लूप लाइन संख्या - 1 से
- (ii) डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-5 मेन लाइन संख्या - 2 से
- (iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियन्त्रित)

(छ) डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या : सी-3

डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ज) शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-31 कांटा संख्या 201ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	मुरसान छोर से लाइन संख्या 1 तथा 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-25 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से मेण्डू छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-27 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से मेण्डू छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(झ) पुनरावर्तक (रिपीटर) - कोई नहीं ।

4.1.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं । यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।

(ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन इंडिकेटर दिये गये हैं। जँक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रूट इंगित करेंगीं।

(घ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेमा० अपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।

(ङ) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है। कार्यरत स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैन्सिलेशन बटन EUYN के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और काँटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते हैं।

(च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.2 स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कॉटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन तथा चाबी आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

4.1.3 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक कॉटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई० जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब कॉटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। **पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगे।**

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रेक सर्किट, कॉटों, सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति में प्रकाशित रहेंगे।

4.1.4 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी :-

पैनल पर स्टेशन मास्टर की एक आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रूट रिलीज़ नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई०यू०यू०वाई०एन० (EUUYN) बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज़ हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं। इस बटन का प्रयोग करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए एवं साइट का भौतिक सत्यापन कर लिया जाना चाहिए। इसका प्रयोग करने के बाद इस उद्देश्य के लिए बनाई गई पंजिका में इसकी प्रविष्टि अवश्य करनी चाहिए।

4.1.5 पुश बटन :- स्टेशन मास्टर पैनल निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :-

4.1.6 सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.7 रुट बटन :

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस-12 को "आफ" करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस-12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रुट बटन संख्या "बी" को एक साथ दबाने पर रुट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेंगे। इसी प्रकार अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 को "आफ" करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन संख्या एस-2 तथा रुट बटन संख्या "ई" को एक साथ दबाने पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 "आफ" हो जायेगा।

4.1.8 काँटा बटन -

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कांटों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा।

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

4.1.3 रिमाइंडर कालर -

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइंडर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या काँटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है।

4.1.4 विद्युत चालित काँटा मशीन/क्रैंक हैण्डिल -

4.1.4.1 मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रैंक हैण्डिल द्वारा कांटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर चार क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी सी०एच०-1 एवं सी०एच०-2, का प्रावधान है। स्टेशन मास्टर द्वारा क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी निकालने की पद्धति निम्नवत् है -

- (i) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी का वाई०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबायेंगे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ii) विद्युत कांटा मशीन को आपात् कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्ते पूर्ण होती है तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेगे।
- (iii) परिशिष्ट “ख” के पैरा 7 में वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत् स्थिति में घुमा दिया जाये।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी का एलएन एवं जीबीएन बटन एक साथ दबाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक हो जायेगा तथा क्रेन्क हैण्डिल के एलएन बटन के ऊपर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।
- 4.1.4.2 क्रेन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण निम्नवत है

क्रेन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण
सी०एच० - 1	201ए-201बी
सी०एच० - 2	203ए-203बी

- 4.1.4.3 प्रत्येक समय जब क्रेन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये-

क्रम सं०	क्रेन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेन्क हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेन्क हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलतायें परीक्षण	क्रेन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेन्क हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति -

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एव एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौपनी चाहिये।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) -

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः एक IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। **(विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)**

5- दूर संचार - स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- (i) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन ।
- (ii) बी०एस०एन०एल० फोन ।
- (iii) हाथरस सिटी तथा मेण्डू स्टेशन के टोकन लेस ब्लॉक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (iv) हाथरस सिटी तथा मुरसान स्टेशन के टोकन लेस ब्लॉक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (v) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 303/सी, 304/सी, 306/सी (हाथरस सिटी-मेण्डू) के साथ टेलीफोन ।
- (vi) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 310/ए, 311/सी, 311A/सी (हाथरस सिटी-मुरसान) के साथ टेलीफोन ।
- (vii) ट्रैफिक समपार संख्या 307/बी के साथ टेलीफोन ।
- (viii) ट्रैफिक समपार संख्या 308/ विशेष के साथ टेलीफोन ।
- (ix) ट्रैफिक समपार संख्या 309/ विशेष के साथ टेलीफोन ।
- (x) बी०एच०एफ० सेट 25 वाट

6 गाडी संचालन की प्रणाली

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, 8.12 एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

(1) गाडियों का आगमन

जब परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 पर गाडियों का आगमन अभिप्रेत हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ अभिधारिता (आक्यूपेन्सी) बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन अभिप्रेत है, साफ एवं बाधा रहित है लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(i) अप गाड़ियों के लिए -

- (अ) लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।

(ii) डाउन गाड़ियों के लिए -

- (अ) लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी लाइन संख्या 1 पर मेन लाइन बनाकर व 2 पर आगमन के लिये गेट संख्या 307/बी एवं 308/विशेष या डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 पर मेन लाइन बनाकर व 2 पर लेते समय ट्रैफिक समपार संख्या 309/विशेष, 308/ विशेष एवं 307/बी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या क्रमशः 551, 552 एवं 553 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या 309/विशेष एवं 308/विशेष एवं 307/बी के बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।
- (ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेंगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जब गाड़ी पूर्णरूपेण विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर के अन्दर आ जाये तब होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तो यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझकर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर जल जाती हैं।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कांटों को तुरन्त ही अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की दशा में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। तत्पश्चात संचालन समाप्त हो जाने पर कांटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(एक्सिल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 तथा ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सैट करने के लिये सा० एवं स० नि 5.19 देखें)

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य -

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, फाटकवाला एवं काँटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पारी में गाड़ी संचालन कर्मचारी

(क) दिन की पाली

स्टेशन मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	03	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(ख) साँध्य/रात्रि पाली

स्टेशन मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	05	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (सामान्य नियम 3.38 (ग), 3.40 (3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली का पैरा 3003 देखें) ।

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें -

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि -

(क) सम्पूर्ण अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ग) लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाडी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
 (घ) अप गाडियों के मामले में गेट सं० 303/सी, 304/सी व 306/सी एवं डाउन गाडियों के मामले में गेट संख्या 310/ए, 311/सी, 311A/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।
 (सा० एवं सहा० नियम 8.03 (2) (क) (ख) (ग) देखें)

6.2.1 गाडी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें - पर्याप्त दूरी / विचलन :

1. सामान्य नियम 3.40(i) (b) के अनुसार गाडियों के आगमन की स्थिति में पर्याप्त दूरी सामान्यतः रुकने के स्थान से मापी गयी है।
2. सामान्य नियम 3.07 (7) के अनुसार निम्न सिगनलों को संयुक्त किया गया है
 (क) डाउन डिस्टैण्ट सिगनल को डाउन गेट डिस्टैण्ट सिगनल समपार संख्या 310/A के साथ।
 (ख) अप एडवांस स्टार्टर को अप गेट डिस्टैण्ट सिगनल समपार संख्या 310/A के साथ।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कार्टों को अन्य लाइन के लिये सेट करना -

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के कॉटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट किये जाये।
 (सहायक नियम 5.19 (1) (a) (ii) (b)(ii) (2)(I)(ii)(iii)(5)(ii)(f) देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाडी का आगमन -

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाडी को प्राप्त करना हो तो सामान्य नियम 5.09 (1)(a)(b)(c)(2)(c)(3)(a)(b)(i) तथा सहायक नियम 5.09 (1)((a) (b) (c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन - कोई नहीं

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का प्रस्थान - कोई नहीं

6.2.1.5 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना -

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना - कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें -

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाडी का आगमन अभिप्रेत है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटे अभिप्रेत लाइन के लिये सेट एवं पाशित है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है सम्मुख कॉटों के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।
- (ड.) अप गाड़ियों के लाइन संख्या 1 एवं 2 पर आगमन के समय गेट संख्या 307 तथा 308 एवं डाउन गाड़ियों के लाइन संख्या 1 एवं 2 पर आगमन के समय गेट संख्या 307, 308 एवं 309 गेट अनुदेशों के अनुसार सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित होना चाहिये।
- 6.3 **'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व**
किसी गाड़ी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।
- 6.4 **गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना**
- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ आगमन की अनुमति नहीं है किन्तु प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है -
- (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान ।
- (ii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान ।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है।
(सहायक नियम 5.01 (14) देखे)
- 6.5 **गाड़ियों का पूर्ण आगमन -**
- (क) स्टेशन से बिना रूके जाने वाली गाड़ी के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करे कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी हैं।
- (ख) रुकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 308/सी पर कार्यरत गेटमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह LV/TL देखकर गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर अपने प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करे। स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन अपनी-अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करे। किन्तु अप गाड़ी के प्रत्येक मामले में एवं डाउन गाड़ी LV/TL के सन्दर्भ में अपूर्ण आती है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर किसी कर्मचारी द्वारा गार्ड के पास ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर टी/1410 भेज कर गार्ड से इस पर पूर्ण आगमन प्रमाण रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर पूर्ण आगमन पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस प्राप्त हो जाने एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट हो जाने के बाद ही ब्लाक यन्त्र पर लाइन बन्द करेगा।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान -

जब गाड़ियों का प्रस्थान अभिप्रेत हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

- (क) संलग्न अगले ब्लॉक स्टेशन से टोकन लेस ब्लॉक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 308 स्पेशल एवं 309 स्पेशल एवं डाउन गाड़ी के मामले में 307/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित करे एवं सड़क यातायात के विरुद्ध गेट बन्द हो जाने का इन्डिकेशन पैनल पर उपलब्ध हो जाने पर गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552, 551 एवं 553 लाकड स्थिति में दबायें जिससे फाटक संख्या 308 स्पेशल एवं 309 स्पेशल एवं 307/बी के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देंगे।
- (ङ) अप गाड़ी के मामले में समपार सं०-310ए, 311/सी, 311ए/सी एवं डाउन गाड़ी के मामले में समपार सं० 306/सी, 304/सी एवं 303/सी के गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें। जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबाये।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितियाँ जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बलती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियाँ बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलितियाँ बुझकर लाल बलितियाँ जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बलितियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बलितियाँ फिर से जल जाती हैं।
- (ट) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ठ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने की शर्तें

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिधर गाडी को भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) अप गाडी के मामले में गेट संख्या 308 स्पेशल एवं 309 स्पेशल एवं डाउन गाडी के मामले में 307/बी सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552, 551 एवं 353 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। जिससे फाटक संख्या 308 स्पेशल एवं 309 स्पेशल एवं 307बी के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देना चाहिए तथा अप गाडी के मामले में समपार सं०-310ए, 311सी, 311ए/सी एवं डाउन गाडी के मामले में समपार सं०- 306सी, 304/सी एवं 303/सी के गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना -

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाडी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

6.7 गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन थ्रू)

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मेन लाइन संख्या 1 एवं 2 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के अधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 से बिना रुके नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से सीधे जा सकती है। होम तथा प्रस्थान सिगनल को आफ कर देना चाहिए। तथापि प्रस्थान सिगनल आफ संकेत तभी धारण करेगा जब सम्बन्धित ट्रैक सर्किट अप/डाउन गाड़ियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आक्यूपाइड होकर साफ हो जाये।
- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाय बराबर लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये। इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन कू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(इ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। (सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi), साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति -

कॉटों एवं सिगनलो के विफल हो जाने की दशा में, सामान्य नियम 3.68 (1) (2) (3), 3.69 (1)(2)(3), 3.70 (1)(3) तथा सहायक नियम 3.68 (2)(ii)(3)(i)(ii),(i), 3.69 (1)(i)(ii)(iii), 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली -

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। (सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 देखें)
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

(सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्वोरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ii) नये प्रकार के बोगी रैकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खडा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. **जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियों बरती जाये -**
 - (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिये।
 - (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड में, पॉच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संगठन गति (Impact Speed) 2.4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये
(सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)
8. **शंटिंग**
शंटिंग संबंधी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
 - संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो ।
 - जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो ।
 - चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर व शंटिंग चाबी भी दी जाये ।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग** - निम्न शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है -
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
 - संबंधित सिगनल आन स्थिति में हों ।
 - संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 - चालक को टी /806 प्रपत्र पर शंटिंग आदेश के साथ शंटिंग चाबी भी दी जाये ।

8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कौंटो तक शंटिंग की अनुमति है।
- (ख) वाहयतम सम्मुख कौंटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
 - होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो ।
 - संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो तथा
 - गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये ।

8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

- प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है-
- जाती हुयी गाडी होम सिग.(विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
 - सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो ।
 - होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
 - स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
 - चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर दी जाये ।

8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध

- (क) आने वाली गाडी के लिए सिगनल आफ किये जाने के बाद नानआइसोलेटेड लाइन तक शंटिंग की अनुमति नहीं है। यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लाक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी । (सामान्य नियम 8.06(1) देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू -

(क) मुरसान की ओर शंटिंग करते समय गेट सं० 308/Spl, 309/Spl तथा मेण्डू की ओर गेट सं० 307/B सड़क यातायात के लिये बन्द एवं पाशित होना चाहिए।

(ख) शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखाना। (सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5 स्टेशन यार्ड / माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग - कोई नहीं।

8.6 आउट लेइंग साइडिंग की कार्य विधि - कोई नहीं

9. असामान्य परिस्थितियों

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

(i)(अ) ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन / कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 13.13 से 13.22 एवं 13.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखे।)

(ब) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।

2.(अ) नियंत्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहाँ से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

(i)(ब) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना -

वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- अ) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाडियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय पूछेगा/बतायेगा।
- ब) लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब वीएचएफ सेट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सेट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन हो, डिस्टरबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।
- स) जब वीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह है तो वीएचएफ सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशनमास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- द) वीएचएफ सेट पर केवल तीन गाडियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेमा० की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/दिया जाये।
- 2.(स) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असमान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 7.01, 7.02, 7.04, 7.07 से 7.11 देखे।)
3. यदि कोई मोटर चालित कौटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कौटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कौटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कौटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कौटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के संबंध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कौटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी मे अंकित किया जाना चाहिये।
- (ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कौटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि -
संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- (ग) कौटों, ट्रेक सर्किट/एक्सिसल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना -
संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 15 को देखें।
- 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता -

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.1.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर ।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन ।
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है ।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन या वी०एस०एन०एल० फोन ।
- (ङ.) नियंत्रण दूरभाष ।
- (च) वी०एच०एफ० सेट ।

9.1.2 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन:

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये -

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।
- (ख) गाडी के इंजन द्वारा ।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी - संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये ।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
9.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को आन स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये सशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेगे।

टिप्पणी -

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाडियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाडियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाडियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाडियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।
- जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढेगा।

4 सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों -

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाडिया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति - कुछ नहीं।

9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाडियों का प्रस्थान।

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा।

(विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i)(ii)(iii) 6.09 (ii)(iii)(1)(2)(3) देखे)

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश -

(1) हाथरस सिटी स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंगी

(2) सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।

2.1 छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी बोल्टेज दो बोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।

2.2 बैटरी बोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिये।

2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलार्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।

2.4 जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये जेनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जेनरेटर हैण्डिल के माध्यम से डी०जी० सेट चलाया जायेगा।

3. इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।

(अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देगें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जेनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जेनरेटर कक्ष में जेनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर जेनरेटर सं० 1 व 2 को बदल-बदल कर चलाया जायेगा।
- (द) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जेनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4-4 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।
4. जब कार्मशियल सप्लाई आ जाये तो स्विच "ए" को कार्मशियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच "बी" को मध्य स्थित में कर दे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाये।
5. जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका प्रविष्टि तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का प्रविष्टि लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का प्रविष्टि लाग बुक में निम्न प्रकार से करें:-

क्रम सं०	तिथि	IPS को चार्ज करने का समय घंटा एवं मिनट में	कार्मशियल पावर सप्लाई विफलता			जेनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जेनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खसपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

7. डीजल जेनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।
8. **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -**
आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9. आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि -

- (अ) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लियर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
- (ब) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को हाथ संकेत देने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा तथा बुझे हुये सिगनल के नीचे से आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369(3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य -

- (i) मुरसान छोर - दिन व रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ii) मेण्डू छोर - दिन व रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण - परिशिष्ट "डू." देखें।12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम

कोहरे के समय फाग सिगनल मैन के रूप में कार्यकरने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13 परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	'क'	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट	'ख'	सिगनल और अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट	'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट	'घ'	गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्त्तव्य
परिशिष्ट	'डू.'	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट	'च'	डी के, स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट	'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी:- इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय और केबिनो तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. मार्शलिंग यार्ड, रिपैकिंग शेड, गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय का आवधिक निरीक्षण।
 8. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 9. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 10. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी परिचालन कार्य भी करना है, तब वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ कोचिंग यार्ड और कोचिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करे।

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2. **परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :**

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कौंटों, सिगनलों, कौंटा संकेतकों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका तथा ग्लाज़ड केस की चाबी को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कौंटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करे।

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना ।
2. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
3. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
5. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
7. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
8. उसके प्रभार में कौटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
9. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**
 - i) सिगनल, कौटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
10. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
11. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।
4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत गेटमैन के कर्तव्य
सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों के लिये परिचालन नियमावली के अध्याय 3 को देखें।)

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ड'

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1	हाथ सिगनल बत्ती (बैट्री चालित) के०आयल	- 06 -06 (Lcg 307/B,308/Spl & 309/Spl हेतु)
2	हाथ सिगनल झण्डी	05 हरी तथा 08 लाल
3	पटाखा सिगनल	50
4	सुरक्षा जंजीरे	04 तालो सहित
5	क्लैम्प	06 तालो सहित
6	अग्निशामक यंत्र(डी०सी०पी० टाइप)	02
7	फायर बकेट	06
8	प्राथमिक चिकित्सा पेटी	01
9	लकड़ी के गुटके	04

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

